न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया (गिरिडीह)

आदेश

वाद संख्या 31/17

मो0 आसीन ..... प्रथम पक्ष

बनाम्

अब्दुल रसीद वगै0 ..... द्वितीय पक्ष

27.4.17

दिनांक..... अभिलेख आदेशार्थ प्रस्तुत। थाना प्रभारी, सरिया से प्राप्त प्रतिवेदन ज्ञापांक 181/17 दिनांक 23.02.2017 के आलोक में मौजा– बरवाडीह, थाना– सरिया, जिला– गिरिडीह खाता नं0– 06, खेसरा नं0– 1296, रकवा– 2.05 डी0। चौहद्दी उ0– मोहिबुन खातुन, द0– शेख जुमन वगै0, पू0– परती कदीम, प0– कच्चा रास्ता, पर धारा 144 द0 प्र0 सं0 के तहत् कार्यवाही प्रारम्भ कर उभय पक्षों को विवादित जमीन पर किसी प्रकार का कार्य करने अथवा चढ़ने से रोक का आदेश देते हुए नोटिस निर्गत की गई तथा कारण पृच्छा की मांग की गई।

उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्षों द्वारा कारण पृच्छा दाखिल किया गया।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपने कथन में बताया गया कि विवादित जमीन प्रथम पक्ष को खरीदगी से प्राप्त है जो प्रथम पक्ष मो0 यासीन तथा उसके भाई मो0 युनुस, मो0 जाकिर तथा मो0 अबुबकर ने सदिक मियां वल्द पुना मियां से 20 डी0 जमीन खाता नं0– 6, प्लॉट नं0– 1296 तथा मोबारक अंसारी उर्फ फैजाली मियां से भी 13 डी0 जमीन प्लॉट नं0– 1296 तथा अन्य जमीन अपनी पत्नियों के नाम से खरीदा है। प्रथम पक्ष तथा उनके भाई लोग खरीदगी जमीन में दखलकार हैं तथा दाखिल खारीज होने के बाद राजस्व रसीद भी निर्गत कराते आ रहे हैं।

प्रथम पक्ष द्वारा अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेजों की छाया प्रति प्रस्तुत किया गया।

1. केवाला
2. दाखिल खारिज हेतु जाँच प्रतिवेदन
3. माल गुजारी रसीद
4. न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गिरिडीह का आदेश
5. सत्र न्यायाधीश, गिरिडीह का आदेश

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपने कथन में बताया गया कि उभय पक्ष के आपसी रजामंदी से ग्रामीण पंचों के समक्ष आज से करीब 30-32 वर्ष पूर्व अपने-अपने जमीन की अदला-बदली किये तथा उसी समय से द्वितीय पक्ष उक्त भूमि पर दखलकार है तथा मकान बनाकर रह रहे हैं।

द्वितीय पक्ष द्वारा अपने कथन के समर्थन में कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया।

पुलिस प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि विवादित जमीन प्रथम पक्ष के सदस्य का रजिस्ट्री खरीदगी का जमीन है जिसको द्वितीय पक्ष के लोग बल पूर्वक हड़पना चाहते हैं। खतियान के अनुसार प्रथम पक्ष का अधिकार बनता है तथा वर्तमान में सरजमीन पर द्वितीय पक्ष का बल पूर्वक कब्जा है।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों व अधिवक्ताओं के दलील सुनने तथा थाना प्रभारी, सरिया के जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह मामला भूमि के हक-हकियत से संबंधित है। चुँकि वाद की कार्यवाही धारा 144 द0 प्र0 सं0 के तहत् शांति बनाये रखने के लिए प्रारम्भ हुई, जिसकी अवधि मात्र 60 दिनों की होती है। निर्धारित अवधि के दौरान कोई अप्रिय घटना अथवा शांति भंग नहीं हुई ऐसी परिस्थिति में आदेश पारित करना न्यायोचित नहीं है।

अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया।